उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 11 | 1-15 जून 2025 | ₹ 20/-

असम से पाकिस्तान समर्थक तत्वों के निष्कासन का अभियान

- तेलंगाना में कांग्रेस पर मुसलमानों से वादाखिलाफी का आरोप
- विश्व की मुस्लिम जनसंख्या में 21 प्रतिशत की वृद्धि
- इजरायल और ईरान के बीच खौफनाक जंग
- सीरिया में महिलाओं के बिकनी पहनकर नहाने पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

असम से पाकिस्तान समर्थक तत्वों के निष्कासन का अभियान 04
तेलंगाना में कांग्रेस पर मुसलमानों से वादाखिलाफी का आरोप 06
मंदिर में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर विवाद 07
ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी 09
उत्तर प्रदेश में धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में दो छात्र गिरफ्तार 11

विश्व

विश्व की मुस्लिम जनसंख्या में 21 प्रतिशत की वृद्धि 12
आतंकवादियों द्वारा अफगान मंत्रिमंडल की हत्या करने की साजिश 13
बीएलए द्वारा पाकिस्तानी सेना पर हमले 14
बांग्लादेश में चुनाव करवाने की घोषणा 16
अमेरिका में यहूदियों पर हमले के दोषी पर मुकदमा दर्ज 17

पश्चिम एशिया

इजरायल और ईरान के बीच खौफनाक जंग 19
सऊदी अरब में विख्यात पत्रकार को मौत की सजा 22
सऊदी अरब में हज के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी 23
यमन में अंधाधुंध फायरिंग में एक दर्जन लोगों की मौत 24
सीरिया में महिलाओं के बिकनी पहनकर नहाने पर प्रतिबंध 25

सारांश

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार ने आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इस कानून में जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह महसूस करता है कि संबंधित संदिग्ध व्यक्ति विदेशी है तो उसे राज्य से निष्कासित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को न्यायाधिकरणों में जाने की जरूरत नहीं है। सरमा ने कहा कि हमने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों से असम को बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 330 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश की सीमा में धकेला जा चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर संदिग्ध विदेशियों के नाम एनआरसी में शामिल भी हों तो भी उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य सरकार विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर भारतीय मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है।

अमेरिकी थिंकटैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इस्लाम विश्व में बड़ी तेजी से फैल रहा है। अगर यह रूझान जारी रहा तो अगले तीन दशक में इस्लाम विश्व का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। प्यू रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 के बीच दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या 21 प्रतिशत बढ़ी है। इस समय दुनिया की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 26 प्रतिशत है। जबकि लोगों का ईसाइयत से मोहभंग बड़ी तेजी से हो रहा है। लोग ईसाई धर्म छोड़कर नास्तिक बन रहे हैं। अभी तक विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या ईसाइयों की है। वहीं, दूसरे स्थान पर मुसलमान हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर विश्व में एक ईसाई पैदा होता है तो तीन लोग ईसाइयत छोड़ देते हैं। रिपोर्ट में हिंदुओं और बौद्धों की घटती हुई जनसंख्या का भी उल्लेख किया गया है। हिंदुओं की जनसंख्या में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2010 में विश्व में हिंदुओं की जनसंख्या 15 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 14.9 प्रतिशत रह गई है।

पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच खौफनाक जंग जारी है। इजरायल का दावा है कि ईरान अपनी परमाणु शक्ति को विकसित करके उस पर हमला करने की योजना बना रहा था, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इजरायल को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी है। इससे पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह और हमास के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया था। अब उसने अपने एक हमले में ईरानी सेना के नौ शीर्ष अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। इजरायल ने ईरान के छह शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की भी हत्या कर दी है। जवाबी कार्रवाई में ईरान इजरायल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए युद्धविराम समझौता करने का प्रयास करे। सबसे गंभीर बात यह है कि उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस समेत कई देशों ने ईरान का समर्थन करने की घोषणा की है। इससे तीसरे विश्वयुद्ध की आशंका बढ़ गई है।

असम से पाकिस्तान समर्थक तत्वों के निष्कासन का अभियान

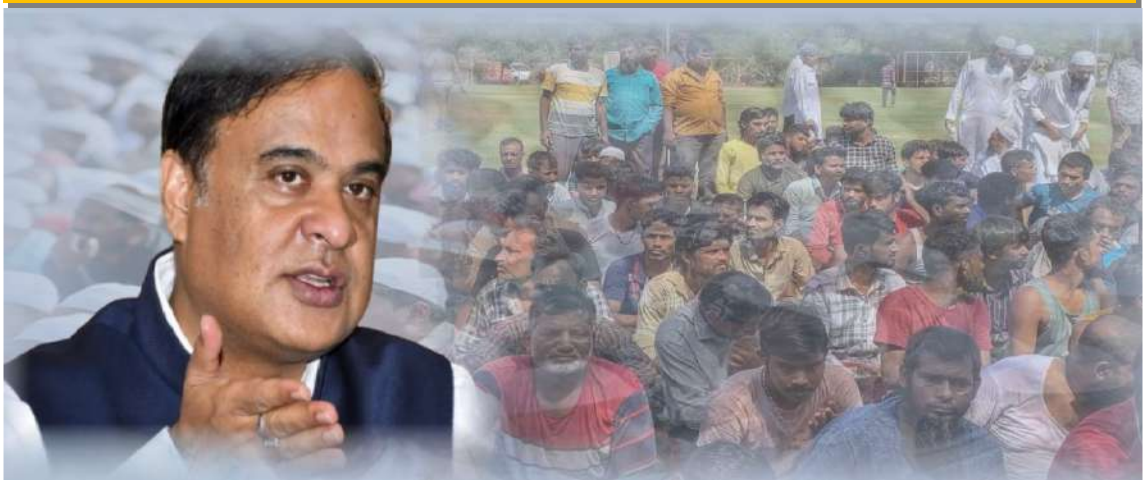

इंकलाब (13 जून) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम विधानसभा में घोषणा की है कि आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत संदिग्ध विदेशियों के खिलाफ 'पुशबैक' अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जिलाधिकारी जिस व्यक्ति की नागरिकता को संदिग्ध पाएगा उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार को विदेशी न्यायाधिकरणों में जाने की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में संदिग्ध विदेशियों को देश से निष्कासित करने की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 330 विदेशियों को बांग्लादेश की सीमा में धकेला जा चुका है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में अक्टूबर 2024 में एक फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 1950 के कानून को वैध ठहराते हुए कहा था कि अगर कोई जिलाधिकारी यह महसूस करता है कि राज्य में रह रहे किसी व्यक्ति की नागरिकता संदिग्ध है तो उस व्यक्ति को देश से निष्कासित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि विदेशियों को निष्कासित करने के लिए सरकार को न्यायाधिकरणों में जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि राज्य सरकार भारतीय नागरिकों को विदेशी करार देकर उन्हें देश से निष्कासित कर रही है। उन्होंने कहा कि विदेशियों को निष्कासित करने का अभियान तेज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे राज्य में भारी संख्या में पाकिस्तान समर्थन तत्व और बांग्लादेशी कट्टरपंथी दाखिल हो चुके हैं। सरमा ने कहा कि निर्वासन अब एक वास्तविकता होगी। भले ही उनके नाम एनआरसी में हों। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, एआईयूडीएफ के विधायक अशरफुल हुसैन और कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर सहित कई विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री सरमा की इस घोषणा की आलोचना की है। उन्होंने पूछा कि जिलाधिकारी किस आधार पर विदेशियों की पहचान करेंगे?

इंकलाब (11 जून) ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार इन पीड़ितों को अपने देश में दाखिल नहीं होने दे रही है, इसलिए वे सीमा पर

ही डेरा डाले हुए हैं। असम सरकार ने 30 हजार लोगों को विदेशी घोषित करके उन्हें राज्य से निष्कासित करने की योजना बनाई है। ये बांग्लाभाषी मुसलमान दशकों से असम में रह रहे थे। उनका गुनाह सिर्फ यह है कि वे मुसलमान हैं।

रोजनामा सहारा (13 जून) ने अपने संपादकीय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कड़ी आलोचना की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं। उन्होंने 1950 के कानून की आड़ में जो अभियान शुरू किया है वह विदेशी नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि हर मुसलमान के खिलाफ है। सरमा ने जिस तरह से 330 कथित विदेशी नागरिकों के राज्य से निष्कासन के मामले को विधानसभा में पेश किया है उससे साफ है कि यह मामला सिर्फ बदले की भावना का नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ उठाना है। विदेशी नागरिकों के निष्कासन का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसे में सालों से राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों को बांग्लादेशी घोषित करके जबरन निकाला जाना किसी भी सभ्य समाज के लिए निंदनीय और शर्मनाक है। सरमा की मुस्लिम दुश्मनी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। यह भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति का भोंडा प्रदर्शन है।

समाचारपत्र ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से असम में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बुलडोजर संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत दशकों से राज्य में रहने वाले गरीब मुसलमानों के मकानों को बिना नोटिस दिए ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये मकान सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं। बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी घोषित करके उन्हें जबरन देश से निष्कासित किया जा रहा है। यह घिनौना हथकंडा असम को एक खतरनाक नस्लीय संघर्ष की ओर ले जा रहा है। यह भविष्य में पूरे देश की एकता को खंडित कर सकता है। आखिर यह देश किस ओर जा रहा है? क्या सिर्फ चुनाव जीतने और कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों भारतीय मुसलमानों को विदेशी घोषित करके उन्हें उनकी मातृभूमि से बाहर धकेल दिया जाएगा? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ असम, बल्कि पूरा देश एक खौफनाक भाषाई और धार्मिक गृहयुद्ध का शिकार हो सकता है।

इंकलाब (12 जून) ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरपरस्ती में इस देश में रहने वाले हजारों मुसलमानों को विदेशी करार देकर उन्हें उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 300 से अधिक असमी मुसलमानों को बांग्लादेश की सीमा में धकेला जा चुका है। यह कार्रवाई लगातार जारी है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति ने आज तक इस तानाशाही के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। ऐसा महसूस होता है कि सरमा को असम की बागडोर इसलिए सौंपी गई है ताकि वे राज्य को मुसलमानों से मुक्त कर दें। समाचारपत्र ने कहा है कि असम में बांग्लाभाषी मुसलमान सदियों से रह रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्हें उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। सबसे निंदनीय बात तो यह है कि ये बदकिस्मत मुसलमान अपनी गरीबी के कारण राज्य सरकार की इस धांधली को अदालतों में भी चुनौती नहीं दे पाते हैं और इन्हें भेड़-बकरियों की तरह जबरन देश से निष्कासित कर दिया जाता है।

■

तेलंगाना में कांग्रेस पर मुसलमानों से वादाखिलाफी का आरोप

इंकलाब (11 जून) के अनुसार मुस्लिम चिंतक प्रो. अख्तरुल वासे ने तेलंगाना मंत्रिमंडल में किसी भी मुसलमान को शामिल न किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना में मुसलमानों के समर्थन से ही सत्ता में आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के तार केंद्र की भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दबाव पर किसी भी मुसलमान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। वासे ने कांग्रेस हाईकमान से मांग की है कि वह अपनी राज्य सरकार को मुसलमानों को उनका उचित अधिकार दिलाने का निर्देश दे।

अखबार-ए-मशरिक (16 जून) ने कहा है कि 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना अलग राज्य बना था। इस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी लगभग 13 प्रतिशत है। कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान में मुसलमानों से अनेक वायदे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने अपना रंग बदल लिया है। राज्य के बजट में अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित विकास निधि में भारी कटौती की गई है। कांग्रेस ने यह भी वायदा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत मुसलमानों के ट्यूशन शुल्क का पूरा भुगतान करेगी। 2024-25 के बजट में मुस्लिम छात्रों के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 41.86 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। तत्कालीन के. चंद्रशेखर राव सरकार ने 'शादी मुबारक योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत शादी के मौके पर गरीब मुस्लिम लड़कियों के परिवारों को एक लाख 11 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का जो वायदा किया गया था उसे भी पूरा नहीं किया गया।

हैरानी की बात है कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा। इससे साफ है कि मुस्लिम विरोधी नीतियों में कांग्रेस भी भाजपा का ही अनुसरण कर रही है। हालांकि, कांग्रेस हाईकमान और स्वयं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मुसलमानों के समर्थन से ही सत्ता में आई है। राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि राज्य के मंत्रिमंडल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी। इस दृष्टि से राज्य के मंत्रिमंडल में कम-से-कम दो मुस्लिम मंत्री होने चाहिए, लेकिन एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया। समाचारपत्र ने कहा है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कांग्रेस को काफी महंगी पड़ सकती है। कांग्रेस को यह मालूम होना चाहिए कि लगातार 10 साल सत्ता में रहने वाले के. चंद्रशेखर राव को इसलिए सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ

धोखेबाजी और नाइंसाफी की थी। कांग्रेस सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अगर मुसलमान उसे सत्ता में ला सकते हैं तो वे उसे कुर्सी से भी उतार सकते हैं।

सियासत (15 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कांग्रेस को सत्ता में लाने में मुस्लिम मतदाताओं का जबर्दस्त योगदान था, लेकिन उसने मुसलमानों को धोखा दिया और उनसे किया गया एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तेलंगाना या अविभाजित आंध्र प्रदेश में यह पहला मौका है जब राज्य के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। हालांकि, आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार में हमेशा तीन मुस्लिम मंत्री रहे हैं। खुद चंद्रशेखर राव की सरकार में दो मुस्लिम मंत्री थे। उनमें से एक मुस्लिम मंत्री को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था और उन्हें गृह मंत्रालय व राजस्व मंत्रालय दिया गया था। राज्य के मुसलमानों ने राहुल गांधी के वायदों पर विश्वास किया था। हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने किसी भी मुसलमान को एमएलसी तक नहीं बनाया।

मुंसिफ (10 जून) ने अपने संपादकीय में कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव से पूर्व राज्य के मुसलमानों से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना में विधायकों की संख्या 119 है। भारतीय संविधान में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 18 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। हैरानी की बात है कि मंत्रिमंडल में अभी भी तीन सीटें खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें किसी भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं चुना गया था, लेकिन राज्य सरकार मुसलमानों को विधान परिषद में मनोनीत करके मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती थी। उल्लेखनीय है कि आमिर अली खान विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे देशभर की मुस्लिम जनता में यह संदेश जाता है कि भाजपा की तरह कांग्रेस भी मुस्लिम विरोधी नीतियों पर चल रही है। अगर कांग्रेस ने अपने रूख में बदलाव नहीं किया तो उसे देशभर में इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

मंदिर में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर विवाद

इंकलाब (17 जून) के अनुसार महाराष्ट्र के जिला अहिल्यानगर में स्थित विख्यात शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर में काम करने वाले 167 कर्मचारियों को अनुशासनहीनता व अनियमितता के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों में 114 मुस्लिम कर्मचारी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि पिछले कुछ महीने से हिंदूवादी संगठन इस मंदिर में मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस विवाद की शुरुआत मई महीने में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से हुई थी। इस वीडियो में मुसलमानों को मंदिर में काम करते हुए दिखाया गया था। इसके बाद यह विवाद जोर पकड़ लिया। नेशनलिस्ट

कांग्रेस पार्टी के विधायक संग्राम जगताप के नेतृत्व में 'हिंदू धर्म रक्षा मार्च' की घोषणा की गई थी। जगताप ने संवाददाताओं को बताया कि शनि शिंगणापुर देवस्थान हिंदू धर्म का मंदिर है। वहां के प्रबंधकों ने हाल ही में इस मंदिर में 118 मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, जो सरासर गलत है। इस मार्च के बाद श्री शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने एक बैठक में यह तय किया कि जनवरी महीने में जिन कर्मचारियों को भर्ती किया गया था उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। 8 जून की बैठक में ट्रस्ट ने 99 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया था। उसके अगले दिन बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 167 कर दी गई।

श्री शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीके दरंदले ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को धर्म या जात-पात के आधार पर बर्खास्त नहीं किया गया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में हिंदू भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट में 2464 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 900 लोग ही काम पर आते हैं। इसी को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने कर्मचारियों की संख्या में छंटनी करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि शनि शिंगणापुर मंदिर शनि देवता का देश का सबसे बड़ा मंदिर है। कुछ समय पहले तक इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन महिला संगठनों के आंदोलन के कारण अब महिलाओं को भी इस मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का अधिकार दिया गया है। जिस कस्बे में यह मंदिर स्थित है वहां के किसी भी दुकान या मकान के दरवाजे में किसी भी प्रकार ताला नहीं लगाया जाता। यह परंपरा एक हजार साल से चली आ रही है। माना जाता है कि शनि देवता न्यायकर्ता हैं और वे अपने श्रद्धालुओं को चोरी और अपराधों से बचाते हैं। इस मंदिर के ट्रस्ट का गठन 1963 में किया गया था। इस मंदिर के पास अपार संपत्ति है, जिनमें कई बाग, उद्यान, गोशालाएं और कृषि भूमि शामिल हैं। इनमें ढ़ाई हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।

हिंदुस्तान (16 जून) के अनुसार समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मंदिर क्षेत्र में काम करने वाले 114 मुस्लिम कर्मचारियों को धार्मिक आधार पर बर्खास्त करने की निंदा की है और इसे गैरकानूनी कार्रवाई बताया है। उन्होंने महाराष्ट्र की महायुति सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि एक ओर तो सरकार यह दावा करती है कि वह सेक्युलर है। दूसरी ओर, वह मुसलमानों

को जानबूझकर अपना निशाना बना रही है। उन्होंने इस फैसले को महायुति सरकार पर एक धब्बा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मुस्लिम कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनकी ड्यूटी मंदिर के पूजा-पाठ से जुड़े कार्यों में नहीं थी, बल्कि वे कचरा प्रबंधन, कृषि और प्रशासन जैसे विभागों में कार्यरत थे। शेख ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक हैं। अल्पसंख्यक मामलों का विभाग भी इसी पार्टी के पास है। इसके बावजूद मुसलमानों को धार्मिक नफरत का निशाना बनाया जा रहा है।

मुंसिफ (18 जून) ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र में धार्मिक आधार पर बढ़ती हुई नफरत की भावना की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रचार कर रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में ईद के मौके पर मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया गया और कुर्बानी पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए गए। अब दशकों से शनि मंदिर में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को धर्म के आधार पर चुन-चुनकर बर्खास्त किया गया है।

ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी

रोजनामा सहारा (18 जून) के अनुसार इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए खौफनाक युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान से भारतीय छात्रों व नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। इन्हें आर्मीनिया के रास्ते भारत लाया जा रहा है। समाचारपत्र के अनुसार ईरान में

इस समय 10 हजार से अधिक भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें लगभग दो हजार छात्र हैं। इन छात्रों में से अधिकांश का संबंध जम्मू-कश्मीर से है। इन छात्रों के अभिभावकों ने भारत सरकार से मांग की थी कि ईरान में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए कदम उठाया जाए। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया था कि इन छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर के छात्र ईरान के उर्मिया क्षेत्र में रह रहे हैं। वे वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि इस्लामिक शिक्षा के छात्र कोम में पढ़ाई कर रहे हैं। कोम इस्लामिक शिक्षा का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अतिरिक्त कई छात्र मशहद और इस्फहान में भी पढ़ाई कर रहे हैं।

भारत सरकार ने ईरान में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए दो नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए हैं। ये केंद्र चौबीसों घंटे काम करेंगे। ये केंद्र दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में बनाए गए हैं। समाचारपत्र के अनुसार लगभग 30 छात्र श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अनंतनाग के निवासी मोहम्मद शफी भट ने संवाददाताओं को बताया कि उनकी बेटी उर्मिया विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और अब वह वापस घर लौट आई है। भारतीय नागरिकों को बसों से आर्मीनिया की सीमा पर स्थित नॉरदुज चौकी तक लाया जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि ईरान के सभी हवाई अड्डे बंद हैं, लेकिन सड़कें खुली हुई हैं। जो विदेशी नागरिक ईरान छोड़ना चाहते हैं उन्हें ईरान के प्रोटोकॉल विभाग को अपने नाम, पासपोर्ट नंबर और वाहन से संबंधित जानकारी देनी होगी ताकि उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था की जा सके। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में दो छात्र गिरफ्तार

उर्दू टाइम्स (17 जून) के अनुसार बरेली कोतवाली पुलिस ने धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध एक अतिवादी संगठन हैदरी दल से बताया जाता है। पुलिस के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि मेडिकल छात्र डॉ. जैश अहमद और इंजीनियरिंग छात्र शानू को गिरफ्तार किया गया है। इन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिकता भड़काने वाली सामग्री प्रसारित करने का आरोप है। बताया जाता है कि हाल ही में इस कट्टरपंथी संगठन का गठन किया गया था। जैश अहमद मुस्लिम युवकों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। गुप्तचर विभाग इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है।

पुलिस के अनुसार जिले के बारादरी निवासी डॉ. जैश अहमद एक निजी होम्योपैथिक कॉलेज का छात्र है और वह अपने घर के पास एक क्लीनिक भी चलाता है। इस क्लीनिक का इस्तेमाल हैदरी दल की बैठकों के लिए किया जाता है। जबकि बहेड़ी निवासी शानू एक निजी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस का छात्र है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि शानू ने इंस्टाग्राम पर हैदरी दल के नाम से पेज बनाया था। इस पेज पर आपत्तिजनक और धार्मिक नफरत को भड़काने वाली सामग्री प्रसारित की जा रही थी।

गौरतलब है कि बकरीद के मौके पर कुछ मुस्लिम युवकों ने नाम, धर्म और पता पूछकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दौरान बनाए गए वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आठ जून को कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मल्लपुर भुता निवासी शहबाज रजा उर्फ सुफियान और समीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पूरनपुर निवासी मुफ्ती खालिद और फरीदपुर निवासी रियाजुद्दीन अभी फरार हैं। पुलिस टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही हैं। हैदरी दल को आर्थिक सहायता पहुंचाने वालों की भी जांच की जा रही है।

विश्व की मुस्लिम जनसंख्या में 21 प्रतिशत की वृद्धि

औरंगाबाद टाइम्स (11 जून) के अनुसार अमेरिकी थिंकटैंक प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस्लाम विश्व में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला धर्म बन गया है। 2010 से 2020 के बीच विश्व की मुस्लिम जनसंख्या में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में 0.1 प्रतिशत की कमी आई है। 2010 में दुनियाभर में मुसलमानों की जनसंख्या 170 करोड़ थी, जो 2020 में बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गई। जबकि इस अवधि में दुनियाभर की जनसंख्या में सिर्फ 10 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि की दर अन्य धर्मों के मुकाबले में दोगुनी है। 'एबीपी न्यूज' की खबर के अनुसार अब दुनिया के प्रत्येक चार में से एक व्यक्ति मुसलमान है। अर्थात विश्व की जनसंख्या में मुसलमानों की भागीदारी 26 प्रतिशत है। दूसरी ओर, गैर-मुसलमानों की जनसंख्या में सिर्फ 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, 2010 में विश्व की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत थी, जो साल 2020 में घटकर 14.9 प्रतिशत रह गई है।

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में मुसलमानों की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में बढ़ी है। यहां पर मुसलमानों की जनसंख्या में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 59 लाख है। दुनिया के अलग-अलग भागों में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी की बात करें तो साल 2010-2020 के बीच उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 34 प्रतिशत बढ़ी है। इस क्षेत्र में मुसलमानों के धर्म प्रचार केंद्र काफी ज्यादा सक्रिय हैं। इनके प्रचार के कारण ईसाई और अन्य धर्मों के अनुयायी भारी संख्या में मुसलमान बने हैं। एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 26 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में 1.4 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं। वहीं, यूरोप में आप्रवासन के कारण मुस्लिम जनसंख्या में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

अखबार-ए-मशरिक (12 जून) के अनुसार विश्व में जब एक ईसाई पैदा होता है तो तीन लोग ईसाई धर्म छोड़ देते हैं। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अगर यह रूझान जारी रहा तो अगले तीन दशक में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या मुसलमानों की होगी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 2010 में ईसाइयों की

वैश्विक जनसंख्या 2.2 अरब थी, जो 2020 में बढ़कर 2.38 अरब हो गई, लेकिन वैश्विक जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत कम हो गई। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस सालों में मुसलमानों की वैश्विक जनसंख्या में 347 मिलियन की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों में अन्य धर्मों की तुलना में जन्म दर बहुत अधिक है। जबकि अन्य धर्मों में जन्म दर के मुकाबले में मृत्यु दर अधिक है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गैर-ईसाई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दुनियाभर में किसी भी धर्म को न मानने वालों की जनसंख्या बढ़कर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो ईसाइयों और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा समूह है। उत्तरी अमेरिका में यह अनुपात 30.2 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। किसी भी धर्म को न मानने वाले सर्वाधिक लोग चीन में हैं, जिनकी संख्या एक अरब 30 करोड़ बताई जाती है। अमेरिका में इनकी संख्या 10 करोड़ 10 लाख है। जबकि जापान में इनकी संख्या सात करोड़ 30 लाख है।

रिपोर्ट में विश्व के 117 देशों के व्यस्क लोगों के धार्मिक रूझान के बारे में भी शोध किया गया है। इस शोध के अनुसार जिन देशों में शिक्षा और सामाजिक विकास का स्तर अधिक है उनमें ईसाइयत को छोड़ने वालों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं, 2010 से 2020 के बीच बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में 19 मिलियन की गिरावट आई है। बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है, जिसके मानने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पूर्वी एशिया में भारी संख्या में लोग बौद्ध धर्म का त्याग कर रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (12 जून) के अनुसार इस्लाम के फैलने का एक कारण यह भी है कि मुस्लिम संगठन इस्लाम और कुरान के प्रसार पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वे एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान का अध्ययन करके इस्लाम धर्म को अपनाएं।

आतंकवादियों द्वारा अफगान मंत्रिमंडल की हत्या करने की साजिश

उर्दू टाइम्स (14 जून) के अनुसार एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी की सूचना पर अफगान गुप्तचर विभाग ने काबुल हवाई अड्डे के नजदीक स्थित एक भवन पर छापा मारा। छापे के दौरान इस भवन में छिपे हुए आतंकवादियों ने अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में एक अफगान सैनिक मारा गया और छह घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकवादी भी मारे गए। इनका संबंध आईएसआईएस के खुरासान प्रांत से बताया जाता है। कहा जाता है कि आईएसआईएस ने अफगानिस्तान के पूरी मंत्रिमंडल की हत्या करने की योजना बनाई थी। इसके लिए बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं और आत्मघाती जैकेट भी बनाए जा रहे थे। अफगान सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि आतंकवादियों ने काबुल हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर स्थित

टाउन क्षेत्र में एक आलीशान बंगला किराए पर लिया था। इस भवन को किराए पर लेने वालों ने दावा किया था कि वे व्यापारी हैं और उनका संबंध एक बड़े व्यापारिक समूह से है।

इससे पहले रूसी गुप्तचर विभाग ने भी अफगान सरकार को सतर्क किया था कि सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस अफगानिस्तान के पूरे मंत्रिमंडल की हत्या करने की योजना बना रहा है। इसके लिए लगभग 20 आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। रूसी सूत्रों ने दावा किया था कि एक पड़ोसी देश से विस्फोटक पदार्थ और अन्य उपकरण अफगानिस्तान भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त देशभर में सीरियल बम ब्लास्ट करने के लिए भारी मात्रा में बारूदी सुरंगे और मिसाइलें भी भेजी गई हैं। अमेरिकी सूत्रों ने यह भी सूचना दी थी कि आईएसआईएस अफगानिस्तान सरकार के खुफिया महानिदेशालय को भी धमाके से उड़ाने की तैयारी कर रहा है।

अफगान सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस अड्डे से कुछ आतंकवादी जीवित भी पकड़े गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। अफगानिस्तान के खुफिया महानिदेशक ने मीडिया को बताया कि विदेशी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आलीशान बंगले की एक सप्ताह से निगरानी की जा रही थी। जब इसकी पुष्टि हो गई कि आईएसआईएस ने अफगानिस्तान के पूरे मंत्रिमंडल की हत्या की योजना को अंतिम रूप दे दिया है तो इस बंगले पर छापा मारा गया। दोनों ओर से चार घंटों तक फायरिंग जारी रही। इस फायरिंग में कुछ आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि इस बंगले से हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त वहां से भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर और अफगान करेंसी भी बरामद हुई हैं। आतंकवादियों के विदेशी संपर्क के बारे में सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

बीएलए द्वारा पाकिस्तानी सेना पर हमले

हिंदुस्तान (14 जून) के अनुसार बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बलूचिस्तान के हरनाई जिले के जरदलू इलाके में पाकिस्तानी सेना की निगरानी प्रणाली पर हमले की जिम्मेवारी ली है। इस केंद्र पर लगे यंत्रों द्वारा बलूच लड़ाकों की गतिविधियों की निगरानी की जाती थी। बीएलए के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि पिछले एक सप्ताह में एक दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए गए हैं। इन हमलों में 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार बीएलए ने कलात के जोहान इलाके में पाकिस्तानी सेना के तीन ठिकानों पर रॉकेटों और भारी हथियारों से हमला किया। इस हमले में छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बीएलए ने यह घोषणा की है कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं हो जाता तब तक इन हमलों का सिलसिला जारी रहेगा।

हिंदुस्तान (15 जून) के अनुसार बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले एक महीने में पाकिस्तानी सेना और गुप्तचर संगठनों ने 128 बलूच कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया है। इसके बाद उन्हें अज्ञात स्थानों पर रखा गया। ग्वादर में 32 लोगों का अपहरण किया गया है। जबकि केच में 27, कराची में 10, अवारन में 9, क्वेटा में 8, पंजगुर और मस्तुंग में 7-7, चाघी में 5, नुश्की में 6, डेरा बुगती में 4, मुसाखेल, कलात और खुजदार में 3-3 लोगों का अपहरण किया गया है। बाद में इनमें से 15 लोगों की लाशें विभिन्न स्थानों से बरामद हुईं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में पाकिस्तानी सेना ने एक दर्जन बलूच कार्यकर्ताओं को अपहरण करके फांसी पर लटका दिया। जबकि तीन अन्य लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर रही है और विशेष रूप से नागरिकों, छात्रों, पत्रकारों व सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (9 जून) के अनुसार हाल ही में बलूचिस्तान विधानसभा में एक नया कानून पारित किया गया है। इस कानून के अनुसार सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती हैं। संदिग्धों को बिना किसी अदालत में पेश किए 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। गिरफ्तार किए गए लोगों को रखने के लिए 10 हिरासत केंद्र बनाए गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने दावा किया है कि इस नए कानून से प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकने में सहायता मिलेगी। अब यह नया कानून बलूचिस्तान में अगले छह साल तक लागू रहेगा। इस काले कानून के खिलाफ क्वेटा में जबर्दस्त विरोध-प्रदर्शन हुए हैं।

हिंदुस्तान (15 जून) के अनुसार बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने बलूच नेता डॉ. महरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि 22 मार्च को बलूच यकजेहती समिति की प्रमुख डॉ. महरंग बलूच समेत 200 बलूच कार्यकर्ताओं को क्वेटा सिविल अस्पताल पर हमला करने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महरंग की बहन नादिया बलूच ने उनकी गिरफ्तारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अब उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (14 जून) के अनुसार क्वेटा की हुदा जेल में बंद डॉ. महरंग बलूच का एक पत्र अमेरिकी पत्रिका 'टाइम' में प्रकाशित हुआ है। इस पत्र में महरंग ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप में उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ अदालत में कोई ठोस प्रमाण पेश करने में विफल रही है। महरंग ने कहा है कि हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

बांग्लादेश में चुनाव करवाने की घोषणा

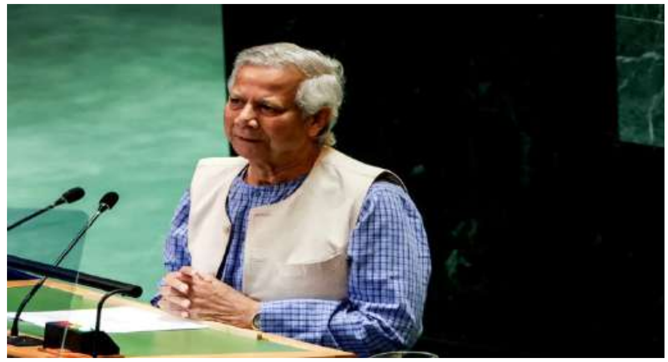

हिंदुस्तान (12 जून) के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की जनता को रेडियो पर संबोधित करते हुए कहा कि अप्रैल 2026 तक देश में चुनाव करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम बांग्लादेश का नवनिर्माण करें। इसके लिए यह जरूरी है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं ताकि राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और कुशासन का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी यह जिम्मेवारी है कि शेख हसीना के शासनकाल में जिन लोगों की हत्या की गई थी उनके हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। यूनुस ने कहा कि नई सरकार चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न सुझावों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों से सलाह-मशवरा करके देश में नए चुनाव करवाने के लिए उचित माहौल बनाए।

चट्टान (11 जून) के अनुसार पर्यवेक्षकों का मानना है कि इतनी कम अवधि में बांग्लादेश के नए संविधान को तैयार करना संभव नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने मोहम्मद यूनुस की इस घोषणा पर निराशा प्रकट की है। वहीं, बांग्लादेश छात्र लीग के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने मोहम्मद यूनुस सरकार के पाकिस्तान के साथ संबंधों की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह 1971 के मुक्ति संग्राम की भावना के सरासर खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों को बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप करने हेतु प्रोत्साहन दे रही है। हुसैन ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी जैसे पाकिस्तान समर्थक संगठनों पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा लिया गया है और उन्हें देश में हिंसा फैलाने की खुली छूट दी जा रही है। हालांकि, जमात-ए-इस्लामी प्रारंभ से ही पाकिस्तानी तानाशाहों का समर्थन करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। 5 अगस्त 2024 से अब तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दो हजार से अधिक हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट थानों में दर्ज हुई हैं। बांग्लादेश की नई सरकार देश के इतिहास और उससे जुड़े हुए स्मारकों को जानबूझकर तबाह कर रही है। सद्दाम हुसैन ने मांग की है कि यूनुस सरकार ने अवामी लीग के चुनाव में भाग लेने पर जो प्रतिबंध लगाया है उसे फौरन वापस लिया जाए।

बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने संदेह व्यक्त किया है कि वर्तमान स्थिति में अप्रैल 2026 तक देश में आम चुनाव करवाने की संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि इतने कम समय में मतदाता सूचियों को तैयार करना और चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना संभव नहीं है। उनका यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने चुनावी तिथियों का फैसला करते समय किसी भी राजनीतिक दल से सलाह-मशवरा नहीं किया। ढाका यूनिवर्सिटी की राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रमुख जुबैदा नसरीन का कहना है कि सबसे

जरूरी बात यह है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों और उसमें सभी राजनीतिक दलों को भाग लेने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वाग्रह के कारण किसी राजनीतिक दल को इन चुनावों से दूर रखा जाता है तो इससे देश में शांति व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव की तैयारी करने के लिए जिन दो परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है उन्हें निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्हें पद मुक्त किया जाए।

जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने मौलवीबाजार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने में अनेक बाधाएं हैं। कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहता है कि चुनावों में किसी तरह की धांधली हो, क्योंकि इससे देश में अराजकता फैल सकती है। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद सैफुल आलम चौधरी ने बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अभी तक देश में शांति व्यवस्था कायम करने में विफल रही है। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इशारे पर नाच रही है।

अमेरिका में यहूदियों पर हमले के दोषी पर मुकदमा दर्ज

अवधनामा (6 जून) के अनुसार अमेरिकी राज्य कोलोराडो में यहूदियों के एक कार्यक्रम पर आग के गोले फेंकने वाले मिस्री मूल के एक 45 वर्षीय मुसलमान मोहम्मद सबरी सोलिमन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर कर दी गई है। इस हमले में घायल होने वाले यहूदियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद सोलिमन पर यहूदियों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया गया है।

सरकारी वकील के अनुसार मोहम्मद सोलिमन मिस्र का नागरिक है और उसने यहूदियों के समारोह में जमा भीड़ पर अग्नि बम फेंकते समय 'फ्री फिलिस्तीन' के नारे लगाए थे। हमलावर का संबंध फिलिस्तीनियों के एक संगठन

से है, जो गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ अमेरिका में सक्रिय है। मोहम्मद सोलिमन 2022 में टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका गया था। हालांकि, उसकी वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद वह अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। पुलिस ने उसकी पत्नी और पांच बच्चों को भी हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी सरकार सोलिमन के परिवार को अमेरिका से निष्कासित करना चाहती थी, लेकिन फिलिस्तीन समर्थक एक संगठन ने इस सरकारी फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मोहम्मद सोलिमन के परिवार को अमेरिका से निष्कासित करने पर रोक लगा दी है।

चट्टान (12 जून) के अनुसार एक 20 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहजेब खान को कनाडा से अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया है। बताया जाता है कि शाहजेब खान ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित एक यहूदी केंद्र पर हमले की योजना बनाई थी। एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने बताया कि शाहजेब खान का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से है। इनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारना था। शाहजेब को सितंबर 2024 में अमेरिका-कनाडा सीमा से 19 किलोमीटर दूर ऑर्म्सटाउन से गिरफ्तार किया गया था। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

एतेमाद (6 जून) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान, अफगानिस्तान और यमन समेत एक दर्जन देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' की रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प ने यह कदम कोलोराडो में यहूदियों पर हमले के बाद उठाया है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ नफरत की ज्वाला भड़काई जा रही है। इसे देखते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त सात अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। इस सरकारी फैसले को नौ जून से लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे रद्द कर दिया था।

इजरायल और ईरान के बीच खौफनाक जंग

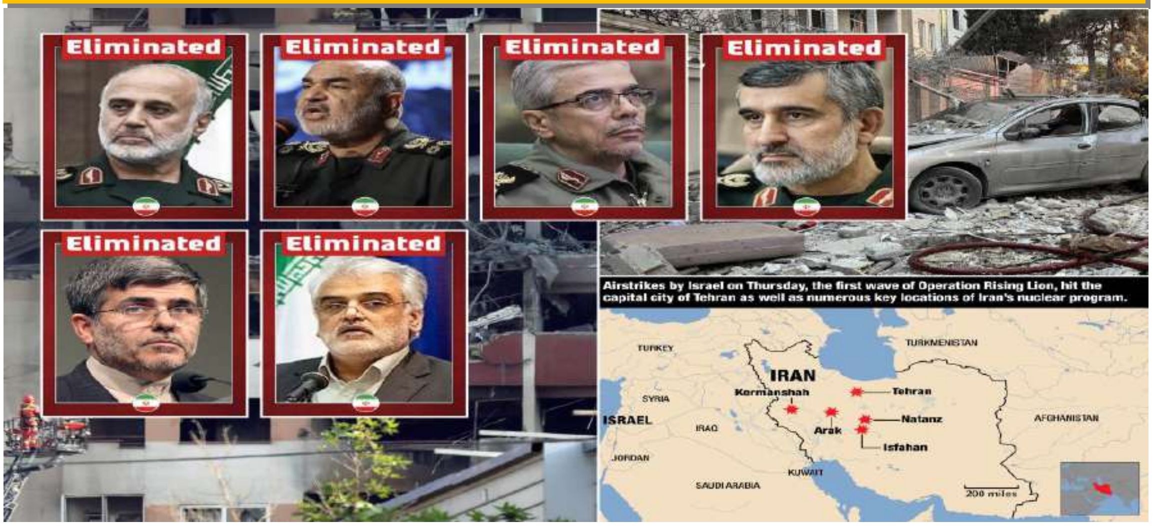

अवधनामा (14 जून) के अनुसार इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान और ईरानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि इन हमलों में मुख्य तौर पर ईरान के सैन्य ठिकानों और यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया गया है ताकि ईरान की परमाणु शक्ति को पंगु बनाया जा सके। इन इजरायली हमलों में पहले ही दिन ईरान के कम-से-कम नौ शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए हैं। मरने वालों में ईरान के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, पासदारान-ए-इंकालब (आईआरजीसी) के प्रमुख हुसैन सलामी, वायुसेना के कमांडर आमिर अली हाजीजादेह, ईरानी सेना के उप सेनापति जनरल गुलाम अली राशिद, आईआरजीसी के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी, सशस्त्र बलों के उप खुफिया प्रमुख गुलाम रजा मेहरबी, जनरल मेहदी रब्बानी, जनरल दाऊद शेखियान और हसन मोहकिक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इजरायल ने ईरान के छह प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की भी हत्या कर दी है। इनमें फेरेदून अब्बासी, मोहम्मद मेहदी तेहरांजी, अब्दुल हामिद मिनोचेहर, अहमद रजा जोल्फाघरी, सैयद अमीर हुसैन फाकी और मोतबलिजादेह शामिल हैं। ईरान सरकार ने भी इनकी मौत की पुष्टि कर दी है।

ईरान सरकार ने दावा किया है कि इस हमले की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायली शहर तेल अवीव और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की ओर से इजरायल पर पहले ही दिन दो हजार से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने दावा किया है कि इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था ने सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल के 200 से अधिक लड़ाकू विमान ईरान को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। इजरायली प्रवक्ता ने दावा किया कि ईरान इजरायल पर हमला करने वाला था और उसके संभावित हमले को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

इजरायली हमले के बाद ईरान ने सांकेतिक बदले के तौर पर ईरानी शहर कोम की जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। यह झंडा

कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में यह जरूरी है कि ईरान को विश्व में व्यापक पैमाने पर तबाही मचाने का मौका न दिया जाए। उन्होंने कहा कि इजरायल अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

कर्बला में इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। इस झंडे पर लिखा है, 'हुसैन के खून का बदला लो'। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि हम इजरायल को ऐसी सजा देंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।

अवधनामा (15 जून) के अनुसार ईरान ने इजरायली हमलों में मारे गए ईरानी सैन्य अधिकारियों के उत्तराधिकारियों की घोषणा कर दी है। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसवी को ईरान का नया सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर को आईआरजीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा है कि इजरायल के अस्तित्व की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान की ओर से इजरायल की तबाही का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका के साथ समझौता वार्ता को जारी रखने का कोई लाभ नहीं है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ईरान को समझौता कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को समझौते के कई अवसर दिए हैं, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इजरायल के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में लगभग 60 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को बंद कर दिया है। यह भी चर्चा है कि इजरायल ने अपने सभी विमानों को किसी अन्य देश में भेज दिया है।

हिंदुस्तान (16 जून) के अनुसार ईरान ने दावा किया है कि उसने 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल के विभिन्न स्थानों को अपना निशाना बनाया है। वहीं, इजरायल ने भी दावा किया है कि उसने ईरान के गैस वाले क्षेत्र पर हमला किया है। इस हमले के कारण तेल शोधक कारखानों में आग लग गई है। इजरायल ने यह दावा किया है कि ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर, ईरान का यह दावा है कि उसके ड्रोन और मिसाइलों ने इजरायल के ऊर्जा तंत्र और लड़ाकू विमान ईंधन आपूर्ति केंद्र को तबाह कर दिया है। ईरान के जनरल इस्माइल कौसारी ने कहा है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने पर विचार कर रहा है। एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान ने धमकी दी है कि इजरायल का समर्थन करने वाले तीन देशों के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (15 जून) के अनुसार इजरायली नगरों में ईरान की जबर्दस्त बमबारी के

कारण आयरन डोम प्रणाली तबाह हो गई है। इसके अतिरिक्त ईरान ने इजरायल के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और उसके कम-से-कम छह पायलट गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

सियासत (16 जून) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है और इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने इजरायली हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। इसके अतिरिक्त सऊदी युवराज ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से भी बातचीत की है।

अखबार-ए-मशरिक (16 जून) के अनुसार ईरान ने चेतावनी दी है कि वह पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी अपना निशाना बनाएगा।

एतेमाद (16 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में ईरान एकमात्र ऐसा देश है, जो अमेरिका और इजरायल का सामना कर रहा है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल का लक्ष्य ईरान के वर्तमान नेतृत्व का तख्ता पलटना है और वहां पर अपने समर्थकों को सत्ता में लाना है। हालांकि, उनके लिए परेशानी यह है कि ईरान में खामेनेई विरोधी शक्तियां एकजुट नहीं हैं। विदेशी शक्तियों ने ईरान सरकार का तख्ता पलटने के लिए 'वीमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन' की आड़ में 2022 में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया था, लेकिन उनका यह प्रयास विफल रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका ईरान के अपदस्थ बादशाह रजा पहलवी को सत्ता में लाना चाहता है। समाचारपत्र का कहना है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान समर्थक मिलिशिया गुटों हिजबुल्लाह और हमास के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया है। इसके अतिरिक्त सीरिया में बशर अल-असद की सरकार के खात्मे के बाद इस क्षेत्र में ईरान की शक्ति काफी कम हो गई है। समाचारपत्र ने दुख प्रकट किया है कि खाड़ी के अरब देश मूकदर्शक बने हुए हैं और वे ईरान की कोई ठोस सहायता नहीं कर रहे हैं।

अवधनामा (15 जून) ने अपने संपादकीय में स्वीकार किया है कि इजरायली हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की हत्या से ईरान काफी कमजोर हो गया है। ईरान लंबे समय से विश्व के देशों से अनुरोध करता आ रहा है कि इजरायल को गाजा में अरबों के खून की होली खेलने से रोका जाए, लेकिन किसी भी देश के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। समाचारपत्र ने कहा है कि ईरान ने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है और उसके बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल के सैन्य ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि ईरान के पास इजरायल जैसे आक्रांता देश को मुंहतोड़ जवाब देने का भरपूर साहस है।

कौमी तंजीम (16 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की ज्वाला भड़काने वाली वैश्विक शक्तियों को यह सोचना चाहिए कि यह जंग सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह

पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी। समाचारपत्र ने कहा है कि ईरान ने इजरायल की बहुचर्चित वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम को तबाह कर दिया है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देश बौखला गए हैं। उनका यह प्रयास है कि विश्व का कोई भी मुस्लिम देश उनके वर्चस्व को चुनौती न दे। यही कारण है कि वे किसी भी तरह से ईरान को पंगु बनाना चाहते हैं।

हिंदुस्तान (15 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम में पलीता लगाने के लिए इजरायल से ईरान पर हमला करवाया है। यह बात छिपी हुई नहीं है कि प्रारंभ से ही मध्य पूर्व के अधिकांश मुस्लिम देश ईरान विरोधी रहे हैं। उन्हें यह डर है कि ईरान उनको अपने चंगुल में ले लेगा, इसलिए उन्होंने ईरान व इजरायल से बचने के लिए अमेरिका का सहारा लिया। इजरायल शुरुआत से ही मुस्लिम देशों को तबाह करना चाहता है और उसे अमेरिका, ब्रिटेन व जर्मनी जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। 1967 के अरब-इजरायल संघर्ष में अरब देशों को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके कारण अरब देशों के शासकों को अमेरिका का दामन थामना पड़ा। ईरान पर हालिया इजरायली हमले का लक्ष्य ईरान की परमाणु क्षमता को तबाह करना और उसकी सैन्य शक्ति की कमर तोड़ना है।

सऊदी अरब में विख्यात पत्रकार को मौत की सजा

इंकलाब (17 जून) के अनुसार सऊदी अरब में एक विख्यात पत्रकार तुर्की अल-जस्सर को फांसी पर लटका दिया गया है। जस्सर को आतंकवाद और देशद्रोह के आरोप में 2018 में गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार अल-जस्सर ने अपने एक ट्वीट में सऊदी अरब के शाही परिवार की आलोचना की थी। सऊदी गुप्तचर विभाग ने इस पत्रकार के घर पर छापा मारकर कंप्यूटर और फोन जब्त कर लिए थे। इनमें आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी। न्यूयॉर्क स्थित 'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे)' के अनुसार अल-जस्सर को इसलिए मौत की सजा दी गई है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया में शाही परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जबकि सरकार का दावा है कि अल-जस्सर के कंप्यूटर से मिली सामग्री से यह पुष्टि होती है कि उनके आतंकवादियों से गहरे संबंध थे।

सीपीजे ने दावा किया है कि 2018 में अमेरिकी अखबार 'द वाशिंगटन पोस्ट' के स्तंभकार जमाल खशोगी की भी सऊदी अरब के शासकों के इशारे पर हत्या कर दी गई थी। उन्हें तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में बुलाया गया था। इसके बाद वे लापता हो गए। बाद में जांच में पता चला कि खशोगी की हत्या सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर की गई थी। कहा जाता है कि खशोगी ने अपने कुछ लेखों में सऊदी अरब के शासक परिवार के घोटालों का पर्दाफाश किया था।

सीपीजे ने कहा है कि सऊदी अरब सरकार किसी भी पत्रकार को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देती। अल-जस्सर साल 2013 से 2015 तक एक ब्लॉग चलाते थे। उन्होंने अपने ब्लॉग में अरब

स्प्रिंग और भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर लिखा था। उल्लेखनीय है कि 2011 में अरब जगत के शासनतंत्र में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य अरब शासकों की तानाशाही का पर्दाफाश करना और कट्टर इस्लामिक कानूनों में संशोधन करना था। इसके अतिरिक्त महिलाओं का सशक्तिकरण करना और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना भी इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था।

सऊदी अरब में हज के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी

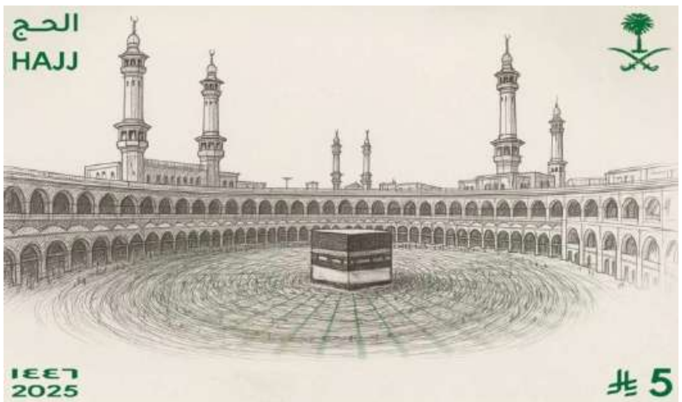

औरंगाबाद टाइम्स (5 जून) के अनुसार सऊदी अरब के डाक विभाग ने हज की याद में तीन रियाल का एक स्मारक टिकट जारी किया है। इसके अतिरिक्त पांच रियाल का एक विशेष पोस्टकार्ड भी जारी किया गया है। सऊदी पोस्ट विभाग हज से संबंधित अब तक 49 विशेष डाक टिकट जारी कर चुका है। इनका संबंध हज से संबंधित स्थान और अन्य विकास परियोजनाओं से है। इन डाक टिकटों की विश्वभर में भारी मांग है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. गासन बिन राशिद अल-नुवैमी ने कहा है कि इस साल 35 लाख लोगों ने हज किया है।

उर्दू टाइम्स (5 जून) के अनुसार हज सीजन के दौरान अस्पतालों में भर्ती हाजियों तक दवाइयां पहुंचाने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद बिन अब्दुर्रहमान अल-जलाजेल ने कहा है कि हज सीजन में पहली बार ड्रोनों के माध्यम से अस्पतालों में भर्ती मरीजों तक दवाइयां पहुंचाई गई है। आम तौर पर इन दवाइयों को सड़क के रास्ते मरीजों तक पहुंचाने में 90 मिनट लग जाते थे, लेकिन ड्रोनों ने सिर्फ छह मिनट में ही मरीजों तक दवाइयां पहुंचा दीं। उन्होंने कहा कि इस साल विभिन्न कारणों से 97 भारतीय हज यात्रियों की मृत्यु हुई है। मरने वालों के परिवारजनों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने परिवारजनों के शव ले सकते हैं, लेकिन अधिकांश परिवारजनों के अनुरोध पर इन शवों को सऊदी अरब में ही दफना दिया गया है।

अवधनामा (7 जून) के अनुसार सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार हाजियों की सुरक्षा के लिए मक्का के आसपास अमेरिका में बना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सैन्य हेलीकॉप्टर चौबीसों घंटे उन क्षेत्रों की निगरानी कर रहे थे, जिनमें हाजी हज से संबंधित रस्में अदा कर रहे थे।

सियासत (9 जून) के अनुसार अल-शरीफैन कार्यक्रम के तहत 100 देशों के 2443 प्रमुख लोगों को शाही परिवार के मेहमान के तौर पर हज करवाया गया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल-सऊद ने इनका स्वागत किया। इन विशिष्ट व्यक्तियों के रहने और खाने की व्यवस्था सरकारी खर्च पर की गई।

इंकलाब (16 जून) के अनुसार सऊदी सरकार ने घोषणा की है कि इजरायल-ईरान युद्ध

के कारण हवाई सेवा बंद होने से जो ईरानी हज यात्री सऊदी अरब में फंस गए हैं वे हवाई यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सऊदी अरब के शाही मेहमान होंगे और सरकार उनके रहने व खाने की व्यवस्था करेगी। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वे खुदा के मेहमान हैं, इसलिए उनका स्वागत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है।

यमन में अंधाधुंध फायरिंग में एक दर्जन लोगों की मौत

अवधनामा (9 जून) के अनुसार यमन के मध्य क्षेत्र अल-बैदा की मस्जिद में नमाज अदा करके बाहर निकल रहे नमाजियों पर एक सशस्त्र हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में कम-से-कम 12 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में लगभग 100 लोग घायल भी हो गए। घायलों में अधिकतर की हालत गंभीर है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र हूतियों के नियंत्रण में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर ने पहले एक बाजार में फायरिंग करके तीन लोगों की हत्या कर दी। बाद में वह मस्जिद की ओर बढ़ा और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। घटना के समय मस्जिद के लाउडस्पीकर चालू थे, जिससे घायलों की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठीं। इससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। हमलावर को लगभग डेढ़ घंटे बाद पकड़ लिया गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हमलावर मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसे अस्पताल में दाखिल किया गया है।

उर्दू टाइम्स (8 जून) के अनुसार तुर्की में बकरीद के दिन 14 हजार से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कसाई प्रशिक्षित नहीं थे, इसलिए पशु बेकाबू हो गए। पशुओं ने उन रस्सों को तोड़ डाला, जिनसे उन्हें बांधा गया था। इसके बाद ये पशु भाग गए और उन्होंने लगभग 10 हजार लोगों को कुचल डाला। जबकि शेष लोग पशुओं की कुर्बानी देने के प्रयास में खुद के हथियार से घायल हो गए। तुर्की सरकार ने जनता से अपील की है कि वे ईद के अवसर पर पशुओं की कुर्बानी खुद न दें, बल्कि इसके लिए पेशेवर कसाईयों की सेवा लें ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। गौरतलब है कि पिछले साल भी बकरीद के अवसर पर इसी तरह की घटनाओं में 16 हजार लोग घायल हो गए थे। बाद में 655 लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया था।

सीरिया में महिलाओं के बिकनी पहनकर नहाने पर प्रतिबंध

औरंगाबाद टाइम्स (12 जून) के अनुसार सीरिया सरकार ने समुद्र तट और स्विमिंग पूल में महिलाओं के बिकनी पहनकर नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब उन्हें बुर्किनी अर्थात पूरे शरीर को ढंकने वाला लिबास पहनकर ही समुद्र तट या स्विमिंग पूल में नहाना होगा। जो महिला इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करेगी उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बशर अल-असद के शासनकाल में सीरियाई महिलाएं आम तौर पर स्नान का पश्चिमी लिबास पहना करती थीं, लेकिन अब अहमद अल-शरा की सरकार ने घोषणा की है कि किसी भी महिला को गैर-इस्लामिक लिबास पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार इस्लामिक संस्कृति को सख्ती से लागू करेगी।

सीरियाई सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी महिला को तंग लिबास पहनने की अनुमति नहीं होगी। महिलाएं वही लिबास पहन सकती है, जिससे उनके शरीर के अंग दिखाई न दें। इसके अतिरिक्त महिलाओं के घुटनों से उपर स्कर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सीरिया में इस्लामिक अतिवादी संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) की सरकार है। एचटीएस को अमेरिका और ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। सीरिया के पर्यटन मंत्री मजेन अल-सलहानी ने घोषणा की है कि हम किसी भी महिला को शरिया कानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे। गौरतलब है कि सीरिया के पड़ोसी देश तुर्की में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। वहां की महिलाएं खुलेआम पश्चिमी लिबास का इस्तेमाल करती हैं। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

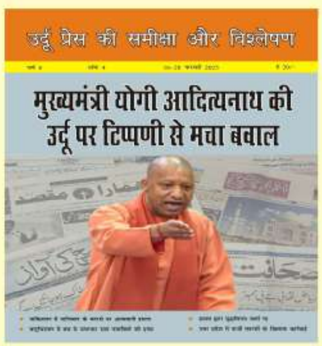

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in